<u>मेघालय</u>

1. मंत्रालय ने उत्कृष्टता के बेंचमार्क के तौर पर प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से 3500 स्कूलों की स्थापना राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में की जाएगी और 2500 स्कूलों की स्थापना शैक्षिक तौर पर गैर पिछड़े ब्लॉकों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अन्तर्गत की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों की स्थापना करने संबंधी संघटक वर्ष 2009-10 से संचालित किया जा रहा है।

2. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य है-

- प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम अच्छी गुणवत्ता वाले एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का होना।
- इन स्कूलों के लिए गति-निर्धारक भूमिका का निर्वहन करना।
- नवाचारी पाठ्यक्रम एवं शिक्षण का प्रयास करना।
- अवसंरचना, पाठयक्रम, मूल्यांकन एवं स्कूल अभिशासन में आदर्श स्थापित करना।

3. **मेघालय राज्य के संबंध में ब्लॉक विवरण**

ब्लॉकों की कुल संख्या	39
शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की संख्या	09
शैक्षिक रूप से गैर-पिछड़े ब्लॉकों की संख्या	30
अनुमोदित स्कूलों की संख्या (प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में एक की दर से	09
कार्यरत स्कूलों की संख्या	शून्यर

4. कार्यान्वयन की स्थिति:

(i) मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी:

वर्ष	स्कूलों की संख्या को मंजूरी दी
2011-12	9
कुल	**9**

(ii) **अनावर्ती अनुदान जारी:**

वर्ष	जारी राशि (रु. करोड़ में)
2011-12	15.03
कुल	**15.03**

(iii) मॉडल स्कूल - कार्यात्मक: शून्य

(iv) आवर्ती अनुदान - जारी: शून्य